

14.1.23

16.1.23

नोटिश का नामला अग्रपक्ष हैं।

22.1.23

22.2.23

नोटिश का नामला अग्रपक्ष हैं।

25.3.23

25.3.23

नोटिश का नामला अग्रपक्ष हैं।

28.4.23

नोटिश का नामला अग्रपक्ष एवं अग्र पक्ष
 न्यायालय ने लगातार अनुपस्थित रहने से प्रतिपक्ष
 को हटा है कि क्षेत्र में विविध व्यवस्था एवं न्यायिक
 व्यवस्था भंग होने की संभावना नगण्य प्रतिपक्ष होता
 है। क्षमतावधि में जांच की प्रक्रिया पूर्ण न हो सके।
 अतः वारंट की कार्यवाही को समाप्त कर अभिलेख
 को बन्द किया जाता है।

लेखाधिकार एवं लेखाधिकार।

अनु. 407

जिरगी।

अनु. 407

जिरगी।